सर्वोच्च प्राथमिकता/ आज ही

उत्तराखण्ड शासन
गृह, सतर्कता, राजस्व,आपदा प्रबन्धन एवं शहरी विकास विभाग
संख्या –335/पी0एस0 /2010
देहरादून, दिनांक–23फरवरी, 2010

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आप अवगत हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या–(एस) 8519/2006 UNION OF INDIA VERSUS STATE OF GUJARAT & OTHERS में मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथ पत्र लगाया जाना है। इस वाद से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आपको पूर्व में ही प्रभावी कार्यवाही हेतु एवं सूचना हेतु उपलब्ध कराए गये हैं और अनेकों बार इस सम्बन्ध में लिखा भी जा चुका है, लेकिन कोई संतोषजनक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है जो कि खेद का विषय है।

इस प्रकरण पर मुख्यतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:–

1– वर्तमान समय तक धार्मिक संस्थानों/भवनों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण के मामलों का चिन्हिकरण।

2–उनका केस बाई केस के आधार पर परीक्षण उपरान्त निस्तारण/नीति निर्धारण। इसका आधार रिलोकेशन, नियमितिकरण इत्यादि हो सकता है।

3– भविष्य में इस प्रकार के मामले पुनः किसी भी दशा में उत्पन्न न हो, उसके लिये प्रभावी कार्यवाही।

वर्तमान समय तक आपके द्वारा प्रेषित सूचनायें, जिनका सारांश निम्नवत है, पूर्णतया असंतोषजनक है।

1– उधमसिंहनगर– 414 मामले अंकित किये गये हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह अतिक्रमण सार्वजनिक स्थानों पर है अथवा नहीं।

2– अल्मोड़ा–शून्य।

3– बागेश्वर–शून्य।

4– पिथौरागढ़–शून्य।

5– चम्पावत–शून्य।

6– नैनीताल–दो।

7– देहरादून–एक

8– हरिद्वार–सूचना अप्राप्त।

9– पौड़ी–शून्य।
10– टिहरी–शून्य।
11– उत्तरकाशी–शून्य।
12– रूद्रप्रयाग–दो।
13– चमोली–शून्य।

उपरोक्त सूचना पूर्णतया अविश्वसनीय है। यह संदेहास्पद है कि अधिकांश जनपदों में इस प्रकार के अतिक्रमण की सूचना शून्य अथवा नगण्य है। आप भलीभांति अवगत हैं कि इस प्रकार की अपूर्ण सूचना से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का प्रश्न उत्पन्न होगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत ध्यान देते हुये उपरोक्त समस्त सूचना दिनांक 24 फरवरी 2010 के मध्यान्ह 12.00 बजे तक फैक्स द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कल **दिनांक 24 फरवरी 2010 को अपरान्ह् 1.45 बजे** मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में इस विषय पर वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई है। उसमें प्रत्येक दशा में भाग भी लें।

(अनूप बधावन)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि –
1- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2- निदेशक, एन. आई. सी. सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।